F.No. NCBC/06/07/321/2020-CP

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसंधान अनुभाग

सुनवाई के कार्यवृत

डॉ. भीम प्रसाद द्वारा प्राप्त शिकायत में मानसिक उत्पीड़न तथा सहायक प्राध्यापक के समान वेतन न दिए जाने व सहायक प्राध्यापक के पदानुसार नौकरी न दिए जाने के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष डॉ. भगवान लाल साहनी एवं श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष कोर्ट रूम, ग्राउंड फ्लोर, त्रिकूट -1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066 में दिनाँक 06.01.2021 समय 12: 00 बजे सुनवाई की एवं सुनवाई के उपरांत यह निर्णय लिया गया कि अगली सुनवाई में सचिव स्वास्थ्य मंत्रालय एवं चयन समिति के सदस्य, उस समय पदस्थ निदेशक, वर्तमान निदेशक, आधिकारिक वेबसाइट मैनेज करने वाली समिति के सदस्य एवं ड्यूटी रजिस्टर मेन्टेन करने वाले कर्मचारियों को बुलाया जाए। इसके पश्चात पुनः माननीय अध्यक्ष डॉ. भगवान लाल साहनी एवं श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के समक्ष कोर्ट रूम, ग्राउंड फ्लोर, त्रिकूट -1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066 में दिनाँक 21.01.2021 समय 03: 00 बजे सुनवाई नियत की गई। सुनवाई में उपस्थित अधिकारीयों एवं कर्मचारियों की सूची **अनुलग्नक 'क'** के रूप में संलग्न है।

सुनवाई के दौरान हुई चर्चा का विस्तृत विवरण:

डॉ. भीम प्रसाद, शिकायतकर्ता: महोदय, मैं पुनः एक बार अपनी शिकायत से आयोग को अवगत करवाना चाहता हूँ कि मेरा चयन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर - एनाटॉमी विभाग पद पर हुआ था एवं मुझे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना में पदस्थ किया गया था। परंतु अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना के तत्कालीन निदेशक ने मुझे सीनियर रेसिडेंट से संबोधित किया जिसका मैंने विरोध किया। मैं नियमावली के अनुसार असिस्टेंट प्रोफेसर के पद हेतु ही अर्ह हूं तथा सीनियर रेसीडेंट की अहर्ता एवं कार्य अलग है जो कि मैं धारण नहीं करता हूं ऐसी स्थिति में मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर बनाए रखा जाए और इस आदेश को वापस निरस्त किया जाए /, किंतु मुझे निदेशक एवं उच्च स्तर पर कोई अनुतोष प्राप्त नहीं हुआ और इस निराशाजनक स्थिति में मुझे "माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना" के पास जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। "माननीय केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना" के आदेश दिनांक में एम्स पटना के 2016/03/30

के आदेश को बहुत ही विनम्रता पूर्वक खारिज कर दिया गया और यह निर्देश दिया 2016/01/07 दिनांक गया किमुझे असिस्टेंट प्रोफेसर का पद दिया जाए किंतु उपरोक्त माननीय न्यायाधिकरण के आदेश का अनुपालन निदेशक द्वारा जानबूझकर एवं दुर्भावना से ग्रसित होकर नहीं किया गया जिसके कारण मुझे दोबारा माननीय न्यायाधिकरण की शरण में जाना पड़ा। इस बीच इस आदेश को जानबूझकर एवं मुझे प्रताड़ित करने हेतु निदेशक द्वारा "माननीय उच्च न्यायालय, पटना" में चुनौती दी गई। महोदय, मैं आयोग को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के आदेश दिनांक के विरुद्ध निदेशक ने माननीय पटना उच्च न्यायालय में याचिका 2016/03/30 (C.W.J.C. No. – 20011 of 2016) दाखिल किये, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश (C.W.J.C. No. – 20011 of 2016 एवं C.W.J.C. No. –14821 of 2018) दिनांक – के द्वारा खारिज कर दिया एवं अपने 2019/12/19 उक्त आदेश में मेरी नियुक्ति को विधि सम्मत एवं न्यायपूर्वक बताया एवं निदेशक को आदेश दिया कि दो माह के भीतर (19/02/2020 तक) मेरे सभी बकाया वेतन का भुगतान दिनांक – से किया 2012/08/21 जाए। महोदय, माननीय केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण, पटना एवं माननीय उच्च न्यायालय पटना के आदेशों के बावजूद भी मेरी सर्विस को अभी तक पुनः आरम्भ नहीं किया गया है और न ही मेरे वेतन भत्तों का भुगतान किया जा रहा है एवं इसके लिए मैंने कई प्रार्थना पत्र निदेशक एवं मंत्रालय को दिए है लेकिन मुझे अभी भी जान बूझ कर आर्थिक एवं जातिगत रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है।अतः माननीय आयोग से मेरा अनुरोध है कि मेरी समस्या को हल किया जाए एवं मुझे यथोचित न्याय दिया जाए।

डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष: आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था?

डॉ. भीम प्रसाद, शिकायतकर्ता: जी।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: क्या यह सही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (एनाटोमी) के नियमित पद की नियुक्ति से सम्बन्धित विज्ञापन में इसका उल्लेख है कि "योग्य उम्मीदवारों के खोज के लिए गठित खोज समिति (Search Committee) तथा चयन समिति (Selection Committee) के विवेक पर अत्यधिक अनुभवी, प्रशिक्षित या प्रख्यात उम्मीदवारों के योग्यता में ढील दी जा सकती है। (qualification may be relaxed for highly experienced, trained or reputed candidates at the discretion of the Search cum Selection committee) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी नोटिंग की मूल फाइल आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाए?

डॉ. पी. के. सिंह, निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान: इससे संबंधित पत्रावलियां स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के पास उपलब्ध हैं।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से उपस्थित अधिकारी इसके संबंध में जानकारी उपलब्ध करवाए।

श्री सम्भु कुमार , अवर सचिव (पी. एम. एस. एस. वाय.): वर्तमान समय में इससे संबंधित जानकारी नहीं है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: आप लोग बिना तैयारी के कैसे आयोग में उपस्थित हो जाते है?

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: क्या यह सही है कि डॉ भीम प्रसाद ने असिस्टेंट प्रोफेसर (एनाटोमी) के नियमित पद के लिए आवेदन दिया था और उन्हें योग्य उम्मीदवारों के लिए गठित खोज समिति (Search Committee) अनुशंसा पर असिस्टेंट प्रोफेसर (एनाटोमी) पद के चयन हेतु चयन समिति (Selection Committee) के समक्ष साक्षात्कार वास्ते आदेश निर्गत किया गया था? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी नोटिंग की मूल फाइल आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाए?

श्री सम्भु कुमार , अवर सचिव (पी. एम. एस. एस. वाय.): वर्तमान समय में इससे संबंधित जानकारी नहीं है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: यदि आपके पास आयोग के किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं है तो आप आयोग में क्यूँ आए है? आप शपथ पत्र पर लिख कर दीजिए कि आपके पास आयोग के किसी भी प्रश्न का जवाब नहीं है।

सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग: सीनियर रेसिडेंट केवल क्लिनिकल विषयों में होते हैं या नॉन क्लिनिकल विषयों में होता है?

श्री सम्भु कुमार , अवर सचिव (पी. एम. एस. एस. वाय.): क्लिनिकल एवं नॉन क्लिनिकल दोनों विषयों में होता है।

सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग: आप लिख कर दीजिए कि क्लिनिकल एवं नॉन क्लिनिकल सीनियर रेसिडेंट दोनों विषयों में होता है। यदि निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना को यह लग रहा था कि डॉ. भीम प्रसाद का चयन नियमानुसार नहीं हुआ है तो उनको पत्राचार के माध्यम से यह मामला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के संज्ञान में लाना चाहिए था इन्हें अपने स्तर पर निर्णय नहीं लेना चाहिए था।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: आपके पास आयोग के किसी भी प्रश्न का उत्तर वर्तमान में नहीं है इसीलिए आप इन प्रश्नों की एक प्रति अपने साथ लेकर जाइए एवं दिनांक 27.01.2021 तक इनके उत्तर से सम्बंधित पत्रावलियों की मूल प्रति एवं सत्यापित प्रति (सत्यापित प्रति प्रत्येक पेज पर हस्ताक्षरित) आयोग को उपलब्ध करवाए।

सचिव, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से मेरी अपेक्षा है कि वे इस संबंध में उचित कार्यवाही करें एवं 7 दिवस के भीतर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना से पूर्ण आख्या मंगवाए।

डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष: आपको नियुक्ति पत्र प्राप्त हुआ था उसमे किस पद पर चयनित हुए थे आप?

डॉ. भीम प्रसाद, शिकायतकर्ता: उसमे भी असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर ही चयनित हुआ था एवं ईमेल भी यही प्राप्त हुआ था।

डॉ. पी. के. सिंह, निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान: उस समय न तो इनके पास पी. एच. डी. की उपाधि थी और न ही 3 साल का कार्यानुभव था।

डॉ. शिवलाल, पूर्व विशेष डी. जी., चयन समिति सदस्य: चयन समिति ने स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा दी गई चयन सूची के अनुसार चयनित अभ्यर्थियों का असिस्टेंट प्रोफेसर पद हेतु साक्षात्कार लिया था न की सीनियर रेसिडेंट के पद हेतु।

डॉ. सुधा यादव, माननीय सदस्य: जब सीनियर रेसिडेंट पद का न तो विज्ञापन किया गया था और न ही साक्षात्कार लिया गया था तब तो इस संबंध में चर्चा का प्रश्न ही नहीं बनता है।

श्री आलोक, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय: यदि इन्हें (AIIMS Patna) भर्ती प्रक्रिया के संबंध में संशय था तो इन्हें स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से इस संबंध में परामर्श करना चाहिए था न की स्वयं ही अपने स्तर पर कोई निर्णय लेना चाहिए था।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: डॉ. भीम प्रसाद को चयन समिति ने सक्षम पाया, साक्षात्कार समिति ने सक्षम पाया, माननीय उच्च न्यायालय ने भी सक्षम पाया केवल निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना ने ही सक्षम नहीं पाया।

माननीय अध्यक्ष, डॉ. भगवान लाल सहनी द्वारा निम्न लिखित प्रश्नों के जवाब पूछे जाने पर श्री सम्भु कुमार , अवर सचिव (पी. एम. एस. एस. वाय.) द्वारा तुरंत जवाब देने में असमर्थता दिखाने पर माननीय अध्यक्ष एवं समस्त सदस्यों ने निम्न लिखित जानकारी शपथ पत्र दिनांक 27.01.2021 समय 10 बजे तक आयोग के समक्ष उपलब्ध करवाए जाने की अपेक्षा की।

1. क्या यह सही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर (एनाटोमी) के नियमित पद की नियुक्ति से सम्बन्धित विज्ञापन में इसका उल्लेख है कि "योग्य उम्मीदवारों के खोज के लिए गठित खोज समिति (Search Committee) तथा चयन समिति (Selection Committee) के विवेक पर अत्यधिक अनुभवी, प्रशिक्षित या प्रख्यात उम्मीदवारों के योग्यता में ढील दी जा सकती है। (qualification may be relaxed for highly experienced, trained or reputed candidates at the discretion of the Search cum Selection committee) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी नोटिंग की मूल फाइल आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाय?
2. क्या यह सही है कि डॉ भीम प्रसाद ने असिस्टेंट प्रोफेसर (एनाटोमी) के नियमित पद के लिए आवेदन दिया था और उन्हें योग्य उम्मीदवारों के लिए गठित खोज समिति (Search Committee) अनुशंसा पर असिस्टेंट प्रोफेसर (एनाटोमी) पद के चयन हेतु चयन समिति (Selection Committee) के समक्ष साक्षात्कार वास्ते आदेश निर्गत किया गया था? यदि हां, तो तत्सम्बन्धी नोटिंग की मूल फाइल आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाय?
3. क्या यह सही है किचयन समिति (Selection Committee) की अनुशंसा पर परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा डॉ भीम प्रसाद को असिस्टेंट प्रोफेसर (एनाटोमी) के पद पर नियुक्त किया गया था। यदि हां, तो चयन समिति (Selection Committee) द्वारा की गयी

अनुशंसा तथा परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किये नियुक्ति आदेश सम्बन्धी मूल फाइल आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाय?

4. जब डॉ भीम प्रसाद को वेतन ग्रेड पे (Grade Pay: 8000) पर नियुक्ति का आदेश जारी किया गया "जोकि विज्ञापन में भी दर्शाया गया है" तो डीओपीटी और परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के किस आदेश व नियम के तहत अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान, पटना द्वारा 8000 वेतन ग्रेड पे (Grade Pay: 8000) को संशोधित करके ग्रेड पे 6600 (Grade Pay: 6600) कर दिया गया? तत्सम्बन्धी डीओपीटी की नियमावली तथा परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के सक्षम अधिकारी द्वारा किये गये अनुमोदन की मूल फाइल आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाय? इससे सम्बन्धित भारत के लेखा नियन्त्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) द्वारा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान, पटना का लेखा परीक्षा के दौरान की गयी टिप्पणी का ब्यौरा प्रस्तुत किया जाय?
5. क्या यह सही है कि डॉ. भीम प्रसाद के समकक्ष योग्यता वाले कई उम्मीदवारों की अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान, पटना में नियुक्ति प्रदान किया गया है? यदि हां, तो नाम, पद और योग्यता बताये? यह भी स्पष्ट करें कि क्या उन्हें भी डॉ भीम प्रसाद जैसा वेतन ग्रेड पे (Grade Pay) दिया गया है?
6. डॉ. भीम प्रसाद को जिस सेवा शर्त के आधार पर तीन साल एवं पांच महीने की नौकरी के पश्चात् निष्कासित किया गया है, सम्बन्धित नोटिंग की मूल फाइल आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाय?
7. क्या यह सही है कि डॉ. भीम प्रसाद जैसी समान योग्यता वाले लोगों के विरूद्ध इस प्रकार का कोई आदेश (सीनियर रेजिडेंट) एवं कार्रवाई (सीनियर रेजिडेंट से निष्कासित) नहीं की गई?
8. वर्ष 2012 से 31.12.2020 तक रोस्टर रजिस्टर का कितने बार रिकास्टिंग किया गया है। वर्ष 2012 से अभी तक का टीचिंग एवं नॉन-टीचिंग, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान, पटना का रोस्टर रजिस्टर आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।
9. यदि परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान का कोई अधिकारी डीओपीटी के दिशा निर्देशों और सम्बन्धि मंत्रालय के सक्षम प्राधिकरण (Competent Authority) के आदेशों की अवहेलना करता है, तो उसके विरूद्ध कार्रवाई का क्या प्रावधान है?

10. क्या परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थान के अधिकारियों को इसकी जानकारी है कि "उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य बनाम विजय कुमार जैन मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार, "यदि किसी सरकारी कर्मचारी का आचरण लोकहित के लिए अशोभनीय हो जाता है अथवा लोक सेवाओं की प्रभावशीलता में बाधा डालता है, तो सरकार के पास यह पूर्ण अधिकार है कि वह लोकहित में ऐसे कर्मचारी को अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त कर दे।"
11. क्या यह सही है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने FR 56 (J) को न केवल वैधता को बनाये रखा है बल्कि यह भी निर्णय दिया है कि उक्त प्रावधान के तहत किसी सरकारी सेवक को सेवानिवृत्त का नोटिस जारी करने से पूर्व उसे कोई कारण बताओ नोटिस जारी किये जाने की आवश्यकता नहीं है।
12. केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण तथा अपील) नियम CCS (CCA) Rules, 1965 के अंतर्गत उल्लिखित उपबन्धों का उल्लंघन करने औरलोक सेवाओं कीप्रभावशीलता में बाधा डालने पर क्या कार्रवाई की जा सकती है?
13. क्या यह सही है कि प्रशासन का सुदृढ़ीकरण-मूल नियमावली (एफआर) 56J और सीसीएस (पेंशन) नियमावली, 1972 के नियम 48 के अंतर्गत आवधिक समीक्षा हेतु परिवार एवं स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार और पटना सहित सभी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान चिकित्सा संस्थानों को पत्र प्राप्त हुआ है, यदि हां, तो अभी तक अक्षम और अनुपयोगी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्रवाई की गयी?

दिनाँक:

स्थान: नई दिल्ली

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)
माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

22/1/21

(डॉ. भगवान लाल साहनी)
माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

F.No. NCBC/06/07/321/2020-CP

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

अनुसंधान अनुभाग

सुनवाई के कार्यवृत

अनुलग्नक'क'

बैठक मे उपस्थित अधिकारी

राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग :-

1. डॉ. भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष
2. डॉ. सुधा यादव, माननीय सदस्य
3. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य
4. श्री आनंद कुमार, सचिव
5. श्री दिनेश कुमार, निजी सचिव मा. अध्यक्ष
6. डॉ. राजुल रायकवार, अनुसंधान अधिकारी
7. कु. पारुल भारद्वाज, अनुसंधान अन्वेषक

आयोग के समक्ष उपस्थिति हेतु अपेक्षित अधिकारीगण :-

1. सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली
2. सदस्य, चयन समिति, विज्ञापन संख्या नं. 1/2011 दिनांक 28.12. 2011
3. डॉ. पी. के. सिंह, निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, बिहार
4. डॉ. गिरीश कुमार सिंह, पूर्व निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, बिहार
5. आधिकारिक वेबसाइट मैनेज करने वाली समिति के सदस्य, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, बिहार
6. ड्यूटी रजिस्टर मेन्टेन करने वाले कर्मचारियों, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, बिहार

आयोग के समक्ष उपस्थित अधिकारीगण :-

1. श्री आलोक, संयुक्त निदेशक, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली
2. श्री राजीव, उप सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली

3. श्रीमति आरती, अतिरिक्त सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली
4. डॉ. शिवलाल, पूर्व विशेष डी. जी., स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली
5. श्री सम्भु कुमार , अवर सचिव (पी. एम. एस. एस. वाय.), स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली
6. श्री आशीष कुमार, ए. एस. ओ., स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली
7. डॉ. पी. के. सिंह, निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, बिहार
8. डॉ. परमजीत पंचाल, एसोसिएट प्रोफेसर, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना, बिहार

उपस्थित शिकायतकर्ता :-

1. डॉ. भीम प्रसाद